3/यो0स०क०-23/2022 49

**बिहार सरकार**
**समाज कल्याण विभाग**

पत्र संख्या-

**स्वीकृत्यादेश**
**(संख्या /2026-27)**

प्रेषक,

**योगेश कुमार सागर** भा०प्र०से०,
अपर सचिव,

सेवा में,

**महालेखाकार,**
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक -15.4.2026

**विषय:-** **मुख्यमंत्री सामाजिक सहायता एवं प्रोत्साहन छत्र योजना के अन्तर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत वितीय वर्ष 2026-27 में केन्द्रांश मद के विभिन्न घटको में कुल रू० 24450.04 लाख, राज्यांश मद के विभिन्न घटकों में कुल रू० 6600.00 लाख तथा राज्यांश मद के विभिन्न घटकों में रू० 35.00** लाख **अर्थात कुल रू० रू० 31085.04 लाख (तीन सौ दस करोड पचासी लाख चार हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग के ज्ञापांक 5725 दिनांक 27.11.2017 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं, मृत्यु अनुदान योजनाओं, विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना एवं अन्य सामाजिक सहायता योजनाओं का संचालन, मुख्यमंत्री सामाजिक सहायता एवं प्रोत्साहन छत्र योजना के अधीन कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना अन्तर्गत पात्र लाभुकों को दी जा रही पेंशन की राशि माह जून 2025 से रू० 400/- प्रतिमाह से बढाकर रू० 1100/- प्रतिमाह विभागीय संकल्प सं0- 1524 दिनाकं-25.06.2025 के द्वारा किया गया है। वितीय वर्ष 2026-27 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना अन्तर्गत केन्द्रांश मद के विभिन्न घटको में कुल रू० 24450.04 लाख, राज्यांश मद के विभिन्न घटकों में कुल रू० 6600.00 लाख तथा राज्यांश मद के विभिन्न घटकों में रू० 35.00 लाख अर्थात कुल रू० रू० 31085.04 लाख (तीन सौ दस करोड पचासी लाख चार हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार दी जाती है-

**(राशि रू. लाख में)**

| क्र0 | योजना का नाम | विपत्र कोड | विषय शीर्ष | स्वीकृत राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **केन्द्रांश** | | | | |
| 1 | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना – सामान्य घटक | (51-2235031010203) | 0203.13.01,31.06 | 13550.04 |
| 2 | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना – विशेष घटक | (51-2235037890202) | 0202.13.01,31.06 | 10900.00 |
| | | | **योग** | **24450.04** |
| **राज्यांश** | | | | |
| 3 | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना – सामान्य घटक | (51-2235031010303) | 0303.31.06 | 5000.00 |
| 4 | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना – विशेष घटक | (51-2235037890302) | 0302.31.06 | 1600.00 |
| | | | **योग** | **6600.00** |
| **राज्य स्कीम** | | | | |
| 5 | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना – सामान्य घटक | (51-2235031010103) | 0103.31.06 | 5.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना – विशेष घटक | (51-2235037890102) | 0102.31.06 | 30.00 |
| | | | योग | 35.00 |
| कुल योग : (रू० तीन सौ दस करोड पचासी लाख चार हजार) | | | | 31085.04 |

2 स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन हेतु सामाजिक सुरक्षा निदेशालय (मुख्यालय) स्तर पर निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, जिला स्तर पर सभी सहायक निदेशक/प्रभारी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं।

3. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक – 12888/वि0 दिनांक-03.12.2024, 236/वि० दिनांक 09.03.2026, 2956/वि0 दिनांक 25.03.2026, 314/वि० दिनांक 01.04.2026 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

5. स्वीकृत्यादेश पर संचिका संख्या-3/यो0स०क०-23/2022 के टिप्पणी पृष्ट संख्या-**31**/टि0 पर दिनांक-**15.04.2026** को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

6. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो0स०क०-23/2022 के टिप्पणी पृष्ट संख्या-**32**/टि0 पर दिनांक-**15.04.2026** को सचिव, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जा रही है।

7. यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

15/4/26

**(योगेश कुमार सागर)**

अपर सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक- 3/यो0स०क०-23/2022 49 /......................./दिनांक-15.4.2026

**प्रतिलिपि** -महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग/संयुक्त सचिव, वित्त विभाग (बजट शाखा)/विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/वरीय प्रशासी पदाधिकारी, सक्षम, अपना घर, बेली रोड, पटना/सभी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/4/26

अपर सचिव,

ज्ञापांक- 3/यो0स०क०-23/2022 49 /......................./दिनांक-15.4.2026

**प्रतिलिपि** -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/4/26

अपर सचिव,

ज्ञापांक- 3/यो0स०क०-23/2022 49 /......................./दिनांक-15.4.2026

**प्रतिलिपि** –विभागीय आई०टी० मैनेजर, को सूचनार्थ एवं स्वीकृत्यादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

15/4/26

अपर सचिव,